-:निर्णय:-

दिनांक :- 01.10.2025

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र **जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा** अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि प्रार्थीया गुलजारा बीबी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इन कथनो के साथ पेश किया कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के पैतृक हक हिस्सा की भूमि चक 9 आर.पी. के पत्थर नम्बर 165/370 (55) के किला नम्बर 6, 7, 8, 9, 12/1, 13 ता 19, 22, 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 165/371 (71) किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 17, 24, 25 कुल 6.6170 हैक्टेयर भूमि एंव चक 2 एल पत्थर नम्बर 155/370 (12) किला नम्बर 17/1, 18/1, 19/1, 20/2, 21/1, 22, 23, 24 कुल 1.1810 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के पिता नूरदीन पुत्र मोहम्मद के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया मुताबिक वंशावली प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि मे 1/8 हिस्सा की हक हकूक रखती है। उक्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक हक हिस्सा की भूमि है, जिसमें प्रार्थीया का जन्मतः हक हकूक है। प्रार्थीया अपने हक हिस्सा की भूमि को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी है। किन्तु अप्रार्थीगण जो कि एक चतुर एंव चालाक प्रवृति के व्यक्ति है, ने मिलीभगत कर प्रार्थीया के पिता जो कि अन्तिम समय में अत्यधिक बीमार रहते थे व लकवाग्रस्त थे और शरीर का कोई अंग काम नही करता था, उनकी सोचने समझने की शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी जो कि अपनी विवेकिय शक्ति का उपयोग नही कर सकते थे,

अप्रार्थीगण द्वारा इस बात का फायदा उठाकर प्रार्थीया के हक की भूमि को प्रार्थीया के पिता के फर्जकारी आशीयत दस्तावेज तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 29.11.2022 को 100/-रूपये के स्टाम्प पर लिखाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने अपने नाम से वसीयत अपने पक्ष में निष्पादित करवा ली, जबकि प्रार्थीया के पिता ने अपने अन्तिम समय में अत्यधिक बीमार रहने के कारण चलने फिरने में असमर्थ रहने के कारण व सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने के कारण मनोस्थिति ठीक नही थी, जो कि इस हालत में नही थे कि वसीयत का निष्पादन कर सके। प्रार्थीया का हक हिस्सा जो कि वसीयत दस्तावेज में वर्णित है, पैतृक हक हिस्सा है उक्त सम्पदा पैतृक हक हिस्सा की होने के कारण प्रार्थीया के पिता के द्वारा की जाने वाली अभिकथित वसीयतनामा प्रार्थीया के पैतृक हक हिस्सा पर निष्प्रभावी, बेअसर व प्रारम्भतः एक शून्य व अवैध दस्तावेज है। प्रार्थीया के पिता का दिनांक 06.09.2023 को देहान्त हो चुका है व अप्रार्थीगण ने तथाकथित वसीयत अप्रार्थीगण के पक्ष में जो स्टाम्प पर लिखी गई है व स्टाम्प का पंजीकरण न तो पंजीयन कार्यालय से हुआ है, न ही नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है, जो तथाकथित वसीयत स्वयंमेव संदिग्ध है। मुताबिक मुस्लिम विधि पैतृक हक हिस्सा अथवा पैतृक भूमि से प्राप्त आय से संयुक्त रूप से कार्य कर आमदनी से प्राप्त सम्पदा जो कि पैतृक भूमि की श्रेणी में आती है, को वसीयत करने का अधिकार पिता को नही है, जो कि मुस्लिम विधि के विपरित होने के कारण प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज है, जो कि विधिक प्रावधानो के विपरित जाकर वसीयतनामा तैयार किया है जो प्रार्थीया के हक हिस्सा पर निष्प्रभावी व बेअसर है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है, प्रार्थीया के पिता की मृत्युपरान्त प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीया मुताबिक कब्जाकाश्त अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी भूमि बंटवारा करवाकर खाता अलग कायम करवाने की अधिकारिणी है, ताकि अप्रार्थीगण से सीव, बट व सिचाई पानी का झगडा न रहे। प्रार्थीया अपने पिता की मृत्युउपरान्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि अपने हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त करती आ रही है जबकि अप्रार्थीगण तथाकथित वसीयत के आधार पर अपने नाम से इंतकाल दर्ज करवाकर उक्त भूमि को अन्यत्र रहन, बैय करने व प्रार्थीया को काश्त से बेदखल करने पर उतारू है, यदि अप्रार्थीगण द्वारा इन तात्विक परिस्थितियों में प्रार्थीया को कब्जा से बेदखल कर दिया व रकबा अन्यत्र रहन, बैय कर दिया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई रूपये पैसो से नही आंकी जा सकती है इसलिए प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि अप्रार्थीगण वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि को अन्यत्र रहन, बैय करने व प्रार्थीया को कब्जा से बेदखल करने से ममनू व बाज रहे, अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि चक 9 आर.पी. के पत्थर नम्बर 165/370 (55) के किला नम्बर 6, 7, 8, 9, 12/1, 13 ता 19, 22, 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 165/371 (71) किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 17, 24, 25 कुल 6.6170 हैक्टेयर भूमि एंव चक 2 एल पत्थर नम्बर 155/370 (12) किला नम्बर 17/1, 18/1, 19/1, 20/2, 21/1, 22, 23, 24 कुल 1.1810 हैक्टेयर को अन्यत्र रहन, बैय व मुन्तकिल करने व वसीयत दिनांक 29.11.2022 के अनुसरण में इंतकाल दर्ज करवाने से ममनू व बाज रहे, आदि आदि तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश का अनुतोष याचित किया गया।

5

≈ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई **अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता वतनदीप सिंह मान** ने वकालतनामा व अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कथन मात्र वाद-पत्र प्रस्तुत करने की हद तक स्वीकार है, लेकिन वाद-पत्र में प्रार्थीया को कामयाबी की कोई आशा नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित सजरा खानदान जिस प्रकार से अंकित किया गया है, अस्वीकार है। स्वर्गीय नूरदीन की पत्नी हाजन रहमत जीवित है जिसे प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में हाजन रहमत आवश्यक पक्षकार है। पक्षकारो के असंयोजन के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नही होने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक नम्बर 9 आर.पी. की वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में नूरदीन पुत्र मोहम्मद के नाम से दर्ज होना स्वीकार है परन्तु प्रार्थीया का यह कथन कि वादाधीन चक 9 आर.पी. की वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया और अप्रार्थीगण के पैतृक हक हिस्सा की भूमि है, अस्वीकार है। उक्त भूमि नूरदीन पुत्र मोहम्मद की स्वयं की भूमि थी। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कथन कतई असत्य व गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया का यह कथन कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित भूमि में मुताबिक वंशावली 1/8 हिस्सा का हक हकूक रखती है, अस्वीकार है और ना ही यह भूमि प्रार्थीया के पैतृक हक हिस्सा की भूमि है और ना ही इस भूमि में प्रार्थीया का जन्मतः हक हकूक है। प्रार्थीया वादाधीन भूमि में किसी भी हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारिणी नही है। हम अप्रार्थीगण एक साधारण परिवार के सामान्य व्यक्ति है। हम अप्रार्थीगण ने आपस में मिलीभगत कर स्वर्गीय नूरदीन से फर्जकारी कर वसीयतनामा दिनांक 29.11.2022 निष्पादित नही करवाया। प्रार्थीया का यह कथन असत्य है कि स्वर्गीय नूरदीन अपने अन्तिम समय में अत्यधिक बीमार रहते थे और लकवाग्रस्त थे तथा उनका शरीर का कोई अंग काम न करता हो व उनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी हो और स्वर्गीय नूरदीन अपनी विवेकीय शक्ति का उपयोग न कर सकते हो, वस्तुतः प्रार्थीया, अप्रार्थी सख्या 1 के पिता और अप्रार्थीगण सख्या 2 व 3 के दादा स्वर्गीय नूरदीन अपने जीवनकाल के अन्तिम समय में पूर्णत स्वस्थ थे और साधारण लकवाग्रस्त थे। स्वर्गीय नूरदीन के शरीर के सभी अंग सही काम करते थे और उनके सोचने समझने की शक्ति सही थी जिससे स्वर्गीय नूरदीन अपनी विवेकिय शक्ति का उपयोग कर कार्य कर रहे थे। स्वर्गीय नूरदीन अपने जीवनकाल में स्वस्थ थे। उनके सोचने समझने की शक्ति पूर्णत सही थी इसलिए प्रार्थीया का यह कथन कि हम अप्रार्थीगण ने स्वर्गीय नूरदीन की स्थिति का फायदा उठाकर वादाधीन वसीयतनामा दिनांक 29.11.2022 को स्टाम्प पर लिखाकर हम अप्रार्थीगण ने अपने नाम से वसीयत स्वयं के पक्ष में निष्पादित करवा ली, असत्य है। वस्तुतः स्वर्गीय नूरदीन ने अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से स्वस्थ रहते हुए बिना किसी दवाब, बहकाव व अनुचित प्रभाव के रूबरू गवाहान अपनी स्वयं की वादाधीन कृषि भूमि की वसीयत हम अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित करवाई जो पूर्णतः वैध, प्रभावी और प्रवर्तनीय है। वादाधीन वसीयत दिनांक 29.11.

2022 को निष्पादित करवाते समय स्वर्गीय नूरदीन को वादाधीन वसीयत और उसकी अर्न्तवस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान व जानकारी रही है। वादाधीन वसीयत में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया का कोई पैतृक हक हिस्सा नही है और ना ही प्रार्थीया वादाधीन कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। नुरदीन का भारतीय स्टेट बैक में किसान क्रेडिट कार्ड संख्या 61212047503 था जिसमें ऋण राशि स्वर्गीय नुरदीन की मृत्यु उपरांत बैक की डिमाण्ड व नोटिस पर अप्रार्थीगण द्वारा जमा करवाकर बैक से ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया तथा भूमि को रहन मुक्त करवाया गया है। मुस्लिम विधि अनुसार मृत व्यक्ति की निंवसीयत छोडी गई सम्पति में मृत व्यक्ति की पत्नी का कुल सम्पति में 1/8 हिस्सा व पुत्रीयों को पुत्रों से आधे हिस्से का निर्धारण किया हुआ है, यदि स्वर्गीय नुरदीन निंवसीयत फौत होता तो भी प्रार्थीया, स्व0 नुरदीन की कुल सम्पति में 1/8 हिस्सा की अधिकारिणी नही होती। स्वर्गीय नुरदीन द्वारा वादाधीन कृषि भूमि की वसीयत की हुई है इसलिए वसीयत अनुसार अप्रार्थी सख्या 1, 1/2 हिस्सा का तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के अधिकारी है। स्वर्गीय नूरदीन की दिनांक 06.09.2023 को मृत्यु हो जाना स्वीकार है। वादाधीन वसीयत स्वर्गीय नूरदीन द्वारा स्वंय ही स्टाम्प पर रूबरू गवाहान मोहम्मद सदीक पुत्र हैदर हाजी व रशीद खां पुत्र उस्मान के समक्ष निष्पादित करवाई गई थी जिसका पंजीकरण पंजीयन कार्यालय या नोटरी पब्लिक से करवाया जाना अनिवार्य नही है। वादाधीन वसीयत पूर्णतः सही व वास्तविक है और संदेह से परे है। वादाधीन भूमि स्वर्गीय नूरदीन की स्वयं की कृषि भूमि थी जिसकी वसीयत करने का स्वर्गीय नूरदीन को पूर्णत अधिकार प्राप्त था। वादाधीन वसीयत मुस्लिम विधि के अनुसार होने के कारण पूर्णत वैध व प्रभावी दस्तावेज है और विधि अनुसार प्रवर्तनीय है। प्रार्थीया ने लालच से वशीभूत होकर यह बिना किसी आधार के मिथ्या एंव असत्य कथनो पर आधारित यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादाधीन कृषि भूमि में प्रार्थीया किसी भी हक व हिस्से की खातेदार काश्तकार नही है और ना ही स्वर्गीय नूरदीन की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीया का वादाधीन कृषि भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा काश्त है। वादाधीन कृषि भूमि की वसीयत हम अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित है जिसके आधार पर वादाधीन सम्पूर्ण कृषि भूमि पर हम अप्रार्थीगण का वसीयत में प्राप्त हक व हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जब प्रार्थीया का वादाधीन कृषि भूमि पर कोई कब्जा काश्त है ही नही तो प्रार्थीया वादाधीन कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से विभाजन करवाकर खाता अलग कायम करवाने की अधिकारिणी नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित तथ्य असत्य व गलत है। प्रार्थीया का वादाधीन कृषि भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा काश्त नही है। हम अप्रार्थीगण वादाधीन वसीयत के आधार पर अपने हक हिस्से अनुसार नामान्तरण दर्ज करवाने और भूमि को अन्यत्र अन्तरित करने के अधिकारी है। प्रार्थीया, हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। स्वर्गीय नूरदीन ने वादाधीन कृषि भूमि पर बैक से कृषि ऋण प्राप्त किया हुआ है, उस ऋण की राशि हम अप्रार्थीगण द्वारा जमा करवाकर अदेय प्रमाण पत्र हम अप्रार्थीगण ने बैक से प्राप्त किया है। हम अप्रार्थीगण के पक्ष में तहरीर वसीयत पूर्णतः वैध, प्रभावी व प्रवर्तनीय है, इस

7

वसीयत की वैधता निर्धारित करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। हम अप्रार्थीगण के पक्ष में तहरीर वसीयत की वैधता निर्धारित करने की अधिकारिता माननीय राजस्व न्यायालय को नही है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सख्या 4 से 8 को वादाधीन वसीयत की जानकारी वसीयत के तहरीर होने के समय से ही रही है। स्वर्गीय नुरदीन की मृत्यु दिनांक 06.09.2023 को होने के उपरान्त 10 दिन तक बैठक चली जिसके उपरान्त गुरुवार को जुम्मेरात को जमाना (सीरा) किया और दोपहर 02:00 बजे नामाज पढी गई, इस नमाज में प्रार्थीया, अप्रार्थी सख्या 4 ता 8 सभी बहनोई व अन्य रिश्तेदार उपस्थित थे जिनकी उपस्थिति में वसीयत दिनाक 29.11.2022 को पढकर सुनाया, समझाया गया था जिसे सुन, समझकर प्रार्थीया, अप्रार्थी सख्या 4 ता 8 सभी बहनोई व अन्य रिश्तेदारो ने स्वीकार किया था और उस समय कोई उजर ऐतराज नही किया, बाद में पारिवारिक रंजिश नाराजगी के कारण प्रार्थीया ने मिथ्या व असत्य कथनो पर आधारित यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का जवाबबुल जवाब वकील प्रार्थी ने पेश किया कि जवाब वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज तथ्य "कि सजरा खानदान अस्वीकार है व पत्नी का पक्षकार बनाये न जाने अभाव के वाद पत्र पोषणीय नही है, अस्वीकार है। जबकि प्रश्नगत भूमि में मुताबिक शरीयत मुस्लिम विधि वादीया का पैतृक हक हिस्सा निहित है। जवाब वाद पत्र की मद सख्या 3 में दर्ज तथ्य कि प्रश्नगत भूमि 9 आरपी की भूमि पैतृक हक हिस्सा की भूमि नही है अस्वीकार है जबकि प्रश्नगत भूमि पैतृक हक हिस्सा की भूमि है, जिसमें हक की घोषणा करवाने की वादीया अधिकारिणी है। अतः अस्वीकार है। जवाब वाद पत्र की मद संख्या 4 की दर्ज तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थीगण ने वाद विषयवस्तु से भिन्न तथ्य दर्ज किए है कि हक प्रतिवादीगण एक साधारण परिवार के सामान्य व्यक्ति है व मिलीभगत कर पिता नूरदीन से वसीयतनामा दिनांक 29.11.2022 निष्पादित नही करवाया व अन्तिम समय में पूर्णतया स्वस्थ थे व सोचने समझने की शक्ति क्षीण नही हुई के तथ्य अस्वीकार है जबकि इसके विपरित वादीया के पिता अन्तिम दिनों में अत्यधिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी व सोचने समझने की भी शक्ति नही थी। लकवाग्रस्त थे। प्रतिवादीया द्वारा दर्ज तथ्य अस्वीकार है व यह तथ्य भी अस्वीकार है कि स्वार्गीय नूरदीन ने अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से स्वस्थ रहते हुए बिना किसी दवाब बहकाव व अनुचित प्रभाव के रोबरु गवाहान वसीयत करवाई हो। यह तथ्य भी अस्वीकार है कि नूरदीन का एसबीआई में किसान क्रेडिट कार्ड सख्या 61212047503 था जिसके ऋण राशि स्वर्गीय नूरदीन की मृत्यु उपरांत बैक में प्रतिवादीगण द्वारा जमा करवाकर एनओसी प्राप्त की हो, अस्वीकार है। यह तथ्य अस्वीकार है कि मुस्लिम विधि के प्रावधान के अन्तर्गत वादीया हक हकूक प्राप्त करने की अधिकारिणी ना हो। जवाब वाद पत्र की मद संख्या 5 तथ्य की वसीयतनामा दिनांक पूर्वत वैध व प्रभावी दस्तावेज है। वादीया लालच से वशीभूत होकर वाद प्रस्तुत किया है, अस्वीकार है। जवाब वाद की मद संख्या 6 अस्वीकार है। वादीया अपने हक हिस्सा के अनुसार काबिज है, कब्जा काश्त के प्रतिवादीगण के तथ्य अस्वीकार है। जवाब की मद संख्या 7 अस्वीकार है। जवाब अतिरिक्त कथन में अंकित

किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अतिरिक्त कथन की मद संख्या 8 में दर्ज तथ्य कि स्वर्गीय नूरदीन की मृत्यु दिनांक के 10 दिन पश्चात सीरा में नमाज के साथ वसीयत का जिक्र किया हो व पढकर सुनाया, समझाया गया हो जबकि वाद दायर करने से पूर्व वसीयत का ज्ञान नही था, जो ही समाज में स्वीकार किया है, तथ्य मनगढ्त मिथ्या होने से अस्वीकार है। अतः जवाबबुल जवाब पेश कर निवेदन है कि जवाब में लिए गए अतिरिक्त कथन व वाद से भिन्न तथ्यों को हटाये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते हैः-

प्रथम दृष्ट्या मामला

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में स्वर्गीय नूरदीन के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थीया द्वारा पैतृक आराजी के कथन करते हुए अपने हक हिस्सा बाबत घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है तथा प्रार्थीया ने स्वयं द्वारा किये गये कथनो को साबित करने हेतु पैतृक आराजी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया तथा प्रार्थीया स्वयं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वसीयत नूरदीन द्वारा की गई होना स्वीकार किया है परन्तु वसीयत में वर्णित आराजी पैतृक होने के कारण वसीयत को प्रार्थीया के पैतृक हक हिस्से पर निष्प्रभावी, बेअसर व प्रारम्भतः शून्य व अवैध दस्तावेज होना जाहिर किया है, इस प्रकार वसीयत को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा मुस्लिम विधि में जन्मतः कॉ-पार्सनरी बाबत कोई अवधारणा नही है, इस कारण अप्रार्थीगण को बिना किसी औचित्य के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। जहां तक मूल वाद का प्रश्न है। मूल वाद दस्तावेज व सबूतो को मध्यनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थीया द्वारा अपना वाद पत्र पैतृक हक हिस्से बाबत प्रस्तुत किया है तथा मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति बाबत कोई अवधारणा नही है तथा अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी में वसीयत के आधार पर अपना हिस्सा क्लेम कर रहे है। वसीयत बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है तथा जब तक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत को निरस्त नही किया जाता तब तक वसीयत को प्रार्थीया के हक हिस्से तक निष्प्रभावी व बेअसर नही माना

जा सकता। इस प्रकार अगर अस्थाई निषेधाज्ञा को बरकरार रखा जाता है तो प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा होगी तथा प्रार्थीया सुविधा का संतुलन का बिन्दू अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है। न्यायालय के अभिमत में अप्रार्थीगण को असुविधा हो सकती है।

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी श्तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा बाबत घोषणा विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति न के बराबर व अप्रार्थीगण को अधिकतम हो सकती है।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:क्रिन्यावीति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा स्थगन दिनांक 11.06.2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ